(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 790-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-12-2016 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 247/अपील/2011-12

विमलाबाई पुत्री श्री नत्थुसिंह
निवासी ग्राम मंहागवां तहसील गैरतगज
जिला रायसेन म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1-गोवर्धन पुत्र श्री शिवप्रसाद कुर्मी
2-देवीसिंह पुत्र श्री दलपत कुर्मी
3-ताराबाई पुत्री श्री अजुद्दी नाई
4-रामबाई बेवा श्री रामसिंह नाई
5-बलवीर सिंह पुत्र श्री अजुद्दी नाई
6-मुन्ना पुत्र श्री अजुद्दी नाई
सभी निवासीगण ग्राम महागवां तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मौजा महगवां तहसील गैरतगंज जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा नम्बर 150/2/1 रकबा 4.00 एकड़ एवं खसरा नम्बर 146/2 रकबा 2.99 एकड़ का सीमांकन कराये जाने पर भूमि खसरा नम्बर 150/2/1 रकबा 4 एकड़ में से 0.35 हेक्टेयर भाग पर अनावेदक क्रमांक 1 एवं 0.35 एकड़ भाग पर अनावेदक क्रमांक 2 एवं खसरा नम्बर 146/2 रकबा 2.99 एकड़ पर अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 6 का अवैध कब्जा पाया गया है, अत: बे-कब्जा हटाया जाये । विचारण न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-70/2007-08 संस्थित कर प्रकरण में सुनवाई की जाकर दिनांक 9-6-2010 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7-6-2011 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-12-2016 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आयुक्त द्वारा पारित आदेश आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का विधिवत सीमांकन कराया गया है तथा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है जो कि आवेदकपक्ष के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है । अनावेदकपक्ष के अवैध कब्जे को न्यायहित में हटाया जाना आवश्यक है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि पंचनामा दिनांक 30-5-08 अनुसार अनावेदकगणों में से किसी के हस्ताक्षर नहीं और न ही कोई सूचना पत्र जारी किया जाना पाया गया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की भूल है न कि आवेदक की । आवेदिका एवं निरक्षर महिला है और उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं है । आवेदिका द्वारा सीमांकन के आवेदन पर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को

सीमांकित भूमि के चतुर्थ सीमाओं में स्थित किसानों को विधिवत सूचनापत्र तामील कराकर सीमांकन किया जाना था, किन्तु ऐसा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है तो शासन की भूल है न कि आवेदिका की । इस स्थिति में आवेदिका की निगरानी स्वीकारकी जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यवर्तित किया जाये कि वे पुन: विधिवत सूचना तामीली उपरांत पडोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन करें।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र बाह्य आदेश पारित किये गये जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदिका को उसकी भूमि का विधिवत कब्जा प्रदान किये जाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार निगरानी नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका ने विधिवत् अपने नाम की खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है । विधिवत् सीमांकन भी कराया है जिसका नोटिस अनावेदक बलवीर ने प्राप्त भी किया है । प्रकरण में स्थल पर जॉच तथा अन्य साक्ष्यों में भी आवेदिका के पक्ष की पुष्टि होती है, लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय ने मात्र यह लिखकर कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया, अत: आवेदिका का आवेदन प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसका संहिता की धारा 250 का आवेदन निरस्त कर दिया । तहसील न्यायालय की उक्त कार्यवाही पूरी तरह से साक्ष्य और तथ्यों की अनदेखी है । अनुविभागीय अधिकारी ने सीमांकन सही नहीं मानकर अपील निरस्त कर दी, जबकि सीमांकन में विधिवत् नोटिस है । पंचनामा तथा फील्डबुक तैयार हुई है । सीमांकन को चुनौती भी नहीं दी गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष भी अभिलेख पर आधारित नहीं है । आयुक्त ने भी मात्र अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, प्रकरण में अभिलेखों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है । उक्त निष्कर्ष के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-12-2016, अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-06-2011 एवं तहसीलदार, तहसील गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-06-2010 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है । आवेदिका को विधिवत् उसकी भूमि का कब्जा वापिस किया जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर